चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 07.03.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदय श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती है।

(2). आज दिनाँक 07.03.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). वर्तमान में बढ़ते साइबर अपराध को रोकने व आमजनमानस को इससे राहत दिलाने के उद्देश्य के तहत चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक जनपद चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में साइबर अपराध पीड़ितों को रोकथाम हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी व क्षेत्राधिकारी कार्यालय श्री राज कमल के कुशल पर्यवेक्षण में साइबर सेल प्रभारी, निरीक्षक श्री निशिकान्त राय तथा उनकी टीम द्वारा लगातार सार्थक प्रयास करते हुये 07 दिन के अन्दर साइबर पीड़ित, थाना बहिलपुरवा क्षेत्र के निवासी श्री अरुण कुमार गुप्ता के खाते में 04 लाख रुपये वापस कराये गये हैं।

दिनाँक 29.02.2024 को आवेदक श्री अरुण कुमार गुप्ता द्वारा पुलिस कार्यालय स्थित साइबर सेल में शिकायत दर्ज करायी कि व्यापार के नाम से उनके साथ 04 लाख रुपये की धोखाधड़ी हो गयी है। प्रकरण का संज्ञान लेकर साइबर सेल प्रभारी श्री निशिकान्त राय द्वारा साइबर सेल में नियुक्त आरक्षी प्रशांत कुमार एवं आरक्षी सर्वेश कुमार द्वारा तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। आरक्षी प्रशांत कुमार एवं आरक्षी सर्वेश कुमार द्वारा आवेदक से सम्पूर्ण जानकारी लेकर आवश्यक कार्यवाही करते हुये, आवेदक श्री अरुण कुमार गुप्ता के शत्-प्रतिशत 04 लाख रुपये उनके खाते में वापस कराये गये।

साइबर अपराध पीड़ित के रुपये वापस होने पर उनके द्वारा पुलिस अधीक्षक चित्रकूट एवं साइबर सेल की टीम का आभार व्यक्त करते हुये धन्यवाद दिया गया।

नोट- किसी भी प्रकार का साइबर फ्राड होने पर हेल्पलाइन नं0 1930 पर तुरंत क़ॉल करें या www.cybercrime.gov.in पर कम्पलेंट रजिस्टर करें या अपनें थाना के साइबर हेल्प डेस्क / जनपदीय साइबर सेल को तत्काल सूचना दें।

(4). पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे #OperationConviction के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन प्रभारी निरीक्षक कोतवली कर्वी श्री उपेन्द्र कुमार सिंह एवं पैरोकार आरक्षी प्रशांत कुमार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी श्री श्रीकान्त यादव द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायधीश/विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी कोर्ट श्री दीपनारायण तिवारी द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 716/2014 धारा 323 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त 1. छोटू उर्फ नागेन्द्र पुत्र रामलाल 2. कलावती पत्नी रामलाल निवासीगण तरौंहा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 01-01 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

(5). पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे #OperationConviction के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्री श्याम प्रताप पटेल एवं पैरोकार आरक्षी अशोक कुमार यादव द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी श्री श्रीकान्त यादव द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी कोर्ट श्री दीपनारायण तिवारी द्वारा थाना पहाड़ी में पंजीकृत मु0अ0सं0 68/2015 धारा 323 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त वीरेन्द्र कुमार पुत्र हरीश्चन्द्र यादव निवासी नेहरा थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को 03 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

(6), श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी रामकिशोर द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी श्री हरिओम सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय सिविल जज (सी0डि0) एफटीसी चित्रकूट सुश्री सोनम गुप्ता द्वारा थाना कोतवाली कर्वी पंजीकृत मु0अ0सं0 490/2019 धारा 279,337,338 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त अनिल कुमार पुत्र अयोध्या प्रसाद निवासी ग्राम घुरेटनपुर थाना कोतवाली कर्वी (वर्तमान थाना भरतकूप) जनपद चित्रकूट 2000/- रूपए के अर्थदण्ड व न्यायालय उठने तक की सजा से दंडित किया गया।

(7). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी रामकिशोर द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी श्री पियूष कुमार द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय सिविल जज (सी0डि0) चित्रकूट श्रीमती विदुषी मेहा द्वारा थाना कोतवाली कर्वी पंजीकृत मु0अ0सं0 417/2016 धारा 279,337,338 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त नसीर अहमद पुत्र पीर मुहम्मद निवासी द्वारिकापुरी शंकर बाजार थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट 2500/- रूपए के अर्थदण्ड व न्यायालय उठने तक की सजा से दंडित किया गया।

(8). आज दिनाँक 07.03.024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में आगामी लोकसभा चुनाव को शान्तिपूर्ण और भयमुक्त सम्पन्न कराए जाने हेतु प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्री श्याम प्रताप पटेल एवं थाना पहाड़ी पुलिस बल द्वारा एस0एस0बी फोर्स के जवानों के साथ थाना पहाड़ी क्षेत्र के सम्पूर्ण कस्बा पहाड़ी, हर्रा, कुचारम, देवल, ओरा, सकरौली, कौहारी, साईपुर, गढ़ीघाट, कादरगंज, बारामाफी, मकरी, परसौंजा एवं असोह अन्तर्गत मतदान केन्द्रो में एरिया डोमिनेशन कर आम जनता को निर्भीक एवं स्वतंत्र मतदान करने हेतु आश्वस्त किया गया।

(9). नो-एण्ट्री एवं रूट डायर्जन सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आगामी फाल्गुन मास अमावस्या मेला में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के दृष्टिगत शहर क्षेत्र में दिनांक 09.03.2024 सुबह 06.30 बजे से 11.03.2024 की रात्रि 09.30 बजे तक भारी एवं मध्यम मालवाहनों (आपातकालीन एवं आवश्यक वस्तुओं के वाहनों को छोड़कर) का शहर में प्रवेश एवं आवागमन पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा। भविष्य/सामान्य दिनों में संभावित दुर्घटनाओं से होने वाली जनहानि को रोकने एवं आम – जनमानस को सुगम व सुरक्षित यातायात उपलब्ध कराये जाने हेतु शहर क्षेत्र में 30 दिवस तक या अग्रिम आदेश जो भी तिथि पूर्व हो, निम्नांकित विवरण के अनुसार भारी एवं मध्यम मालवाहनों (आपातकालीन एवं आवश्यक वस्तुओं के वाहनों को छोड़कर) का शहर में प्रवेश एवं आवागमन पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा।

स्थान एवं प्रतिबंधित समय

1 लोढ़वारा मोड, राजापुर मार्ग। प्रातः 06.30 बजे से रात्रि 09.30 बजे तक
2 पुलिस लाईन तिराहा के पास मानिकपुर रोड। प्रातः 06.30 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक
3 रेलवे क्रॉसिंग के पूर्व प्रयागराज रोड। प्रातः 06.30 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक
4 शेषनपुरवा मोड, सोनेपुर सतना मार्ग।प्रातः 06.30 बजे से रात्रि 10.30 बजे तक
5 बेड़ी पुलिया (मत्यगजेन्द्रनाथ धर्मकांटा बांदा मार्ग)। प्रातः 06.30 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक
6 निर्मोही अखाड़ा यूपी एमपी बार्डर से बेड़ी पुलिया तिराहा तक। प्रातः 06.30 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक

नोटः-

1. निर्मोही अखाड़ा यूपी एमपी बार्डर से बेड़ी पुलिया तिराहा तक श्रद्धालुओं की सुरक्षा के दृष्टिगत नया नो इन्ट्री मार्ग घोषित किया गया है।
2. शहर में वैवाहिक / धार्मिक / राजनैतिक कार्यक्रमों / जुलूस / झांकी / शोभा यात्रा आदि के दृष्टिगत भविष्य में नो इन्ट्री के समय में परिवर्तन किये जाने पर परिवर्तन की सूचना नो इन्ट्री बैरियर पर ही दी जायेगी।

भारी वाहनों का डायवर्जन

- **प्रयागराज से बांदा व सतना जाने वाले वाहनः-**

1. बोड़ी पोखरी चौराहा से राजापुर होते हुये बांदा की तरफ जायेगें।
2. बोड़ी पोखरी चौराहा से पुलिस लाइन तिराहा (खोह), सरैंया, मारकुण्डी तिराहा (मानिकपुर) होकर सतना की तरफ जायेगें।
3. राजापुर से आने वाले बड़े वाहन पहाड़ी से अतर्रा होकर बांदा की तरफ जायेगें।

- **बांदा से प्रयागराज जाने वाले वाहनः-**

1. अतर्रा से बिसन्डा, पहाडी, राजापुर होकर प्रयागराज की तरफ जायेगें।

- **सतना से प्रयागराज व कौशाम्बी जाने वाले वाहनः-**

1. बड़ी पाटिन तिराहा से इटवां डुडैला, मारकुण्डी तिराहा (मानिकपुर), पुलिस लाइन तिराहा (खोह), बोड़ी पोखरी चौराहा होकर प्रयागराज की तरफ जायेगें।
2. बड़ी पाटिन तिराहा से इटवां डुडैला, मारकुण्डी तिराहा (मानिकपुर), पुलिस लाइन तिराहा (खोह), बोड़ी पोखरी चौराहा, राजापुर होकर कौशाम्बी की तरफ जायेगें।